न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 85/2020 बउनवानी हंसराज मीना **बनाम** लोक सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर
पुत्र श्री मथुरा लाल मीना, निवासी–कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झालाना डूंगरी–जयपुर

GCMS No-2020/00174

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
06.01.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. कहार उर्फ बडागांव मे मोतीलाल मीना व भरतलाल मीना पुत्र श्री श्योराम मीना खाता संख्या नया 217 के वास्तविक काश्तकार है लेकिन खाता संख्या नया 174,245 मे मोती लाल, गील्या का पुत्र फर्जी तरीके से बना हुआ है लेकिन मोतीलाल को फर्जी वारिसान बना दिया गया है इसमे सरकार को कितना राजस्व नुकसान हुआ है प्रमाणित प्रति चाहिए। 2. खाता संख्या नया 16 मे फर्जी वारिस व दत्तक पुत्र भरत लाल को बनाया गया है दत्तक पुत्र का गोदनामा व सरकार को कितना राजस्व नुकसान हुआ है। प्रमाणित प्रति चाहिए। 3. मोतीलाल मीना को गोल्या का पुत्र किस नियम के तहत बनाया गया है ओर भरतलाल को जयराम का दत्तक पुत्र किस आधार नियम के तहत बनाया गया है व कितना राजस्व नुकसान हुआ है प्रमाणित प्रति चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सूकाअ/एलआर/2020/6774 दिनांक 29.12.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के परिप्रेक्ष्य में बडागांव कहार के नामा0संख्या 625 एवं नामा0 94 की प्रमाणित प्रति भिजवायी जा चुकी है शेष सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.10.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है किन्तु फिर भी तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./2021/6774 दिनांक 29.12.2020 से अपीलान्ट को नामा0 संख्या 625 व 94 की प्रमाणित प्रति भिजवायी जा चुकी है जिसमे कुछ हद तक अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचनाऐ समाहित है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार मलारना डूँगर को निर्देशित किया जाता है कि नामा0 संख्या 94 के कॉलम 18 में पंचायत प्रस्ताव चस्पा होना अंकित किया गया है अतः पंचायत प्रस्ताव की प्रति भी अपीलान्ट को 15 [illegible] जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्राव[illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.06.09 17:34:22 IST Reason: SelfAttested (राजे[illegible]न) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	